संख्या-368/2026/756/22-2-2025-17(828)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 — लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2026

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लाल सिंह यादव पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लाल सिंह यादव पुत्र श्री रामकुमार, जैतपुर मजरे शाह, थाना-गाजीपुर, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.1989 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व डण्डा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-697/2007 में भा0द0वि0 की धारा-323/149, 304/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं-08, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 31.05.2010 द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.05.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 03.06.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष 01 माह 05 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 10 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- दयायाचिका समिति की बैठक-24.02.2025 में जेल रिपोर्ट के अनुसार मा0 न्यायालय द्वारा बन्दी को प्रदत्त 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 03.06.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष 01 माह 05 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 10 माह 17 दिन की भोगी गयी सजा, सामान्य जेल आचरण एवं **squamous cell carcinoma with COPD (chronic obstructive pulmonary disease)** से ग्रसित होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किए जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लाल सिंह यादव (बन्दी संख्या-497/2019) पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-फतेहपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-368/2026/756(1)/22-2-2025 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।